उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्,

संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून

वेबसाईट– www.ubter.in

।।संशोधन।।

विज्ञापन संख्या 11406 / उप्राशिप / पिटकुल / स0अभि0 / दिनांक 14 / 12 / 2016 के माध्यम से पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड में सहायक अभियन्ता (वि0एवं0या0) (प्रशिक्षु)–47 पद, सहायक अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु)– 4पद, सहायक अभियन्ता (सू0प्रौ0) (प्रशिक्षु)– 3पदों हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 16 / 01 / 2017 निर्धारित की गयी थी। संशोधन के उपरान्त आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि दिनांक 31 जनवरी 2017 निर्धारित की जाती है। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। आवेदन पत्र भरने से पूर्व निर्धारित अर्हताओं / शुल्क का अवलोकन अवश्य कर लेवें। आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में तथा समस्त वांछित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें अन्यथा की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप परिषद् की वेबसाईट www.ubter.in पर उपलब्ध है।

विज्ञापन सं0 C-1 / उप्राशिप / पिटकुल / स0अभि0 / दिनांक 10 / 01 / 2017

सचिव

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्

संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून (Website : www.ubter.in)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) में सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) (प्रशिक्षु), सहायक अभियन्ता (जानपद) प्रशिक्षु एवं सहायक अभियन्ता (सू0प्रो0) (प्रशिक्षु) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन

विज्ञापन संख्या 11406/उप्राशिप/पिटकुल/स0अभि0/ दिनांक 14/12/2016
समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि– 15/12/2016
आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि– 16/01/2017

निदेशक (मानव संसाधन), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के द्वारा प्रेषित अधियाचन सं0 1846/मा0सं0एवं0प्र0वि0/पिटकुल/एच–4/यूबीटीईआर दिनांक 21/11/2016 एवं पत्र सं0 1956/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/एच–4/यूबीटीईआर दिनांक 14/12/2016 के द्वारा सहायक अभियन्ता (वि0एवं0या0) (प्रशिक्षु)–47 पद, सहायक अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु)– 4पद, सहायक अभियन्ता (सू0प्रौ0) (प्रशिक्षु)– 3पदों हेतु प्राप्त अधियाचन में भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। 'आवेदन पत्र' का प्रारुप (परिशिष्ट–1) उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद की वेबसाईट **www.ubter.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को आंवटित परीक्षा केन्द्रों/परीक्षा तिथि की सूचना उन्हें प्रवेश पत्र के माध्यम से उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, द्वारा दी जायेगी। किसी भी अभ्यर्थी को परिषद द्वारा जारी प्रवेश पत्र के बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

1. रिक्तियों की संख्या एवं विवरण निम्नवत हैः–

पद कोड	पदनाम	रिक्तियों की संख्या	निर्धारित शैक्षिक योग्यता
1	सहायक अभियन्ता (वि0एवंयां0) (प्रशिक्षु) **Assistant Engineer (E&M) (Trainee) Pay-Band ₹15600-39100, Grade Pay ₹5400/-**	47 GEN-33 SC-8 ST-2 OBC-4	देवनागरी लिपि में वृहद ज्ञान के साथ Applicant should have obtained a Bachelor's Degree in Electrical, Electronics, Electronics & Communication, Mechanical, Power Engineering, Power System Engineering or those Engineering Branches which have the word Electrical, Electronics or Mechanical From a recognized institution or should have completed AMIE- Sections A&B examination. General/OBC Category candidate should have minimum 60% marks or above or equivalent grade. SC/ST of Uttarakhand State/Departmental candidates (SC/ST working in PTCUL) should have minimum pass marks or equivalent grade in the relevant discipline. The departmental candidates (Working in PTCUL) of General/OBC category should have minimum 50% marks or equivalent grade in the relevant discipline.
2	सहायक अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु) **Assistant Engineer (Civil) (Trainee) Pay-Band ₹15600-39100, Grade Pay ₹5400/-**	4 GEN-2 SC-1 OBC-1	देवनागरी लिपि में वृहद ज्ञान के साथ Applicant should have obtained a Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognized institution or should have completed AMIE- Sections A&B examination. General/OBC Category candidate should have minimum 60% marks or above or equivalent grade. SC/ST of Uttarakhand State/ Departmental candidates (SC/ST working in PTCUL) should have minimum pass marks or equivalent grade in the relevant discipline. The departmental candidates (Working in PTCUL) of General/OBC category should have minimum 50% marks or equivalent grade in the relevant discipline.
3	सहायक अभियन्ता (सू0प्रौ0) (प्रशिक्षु) **Assistant Engineer (I.T.) (Trainee) Pay-Band ₹15600-39100, Grade Pay ₹5400/-**	3 GEN-2 SC-1	देवनागरी लिपि में वृहद ज्ञान के साथ Applicant should have obtained a Bachelor's Degree in Computer Science/Computer Engineering/Information Technology from a recognized institution or should have completed AMIE- Sections A&B examination. General/OBC Category candidate should have minimum 60% marks or above or equivalent grade. SC/ST of Uttarakhand State/Departmental candidates (SC/ST working in PTCUL) should have minimum pass marks or equivalent grade in the relevant discipline. The departmental candidates (Working in PTCUL) of General/OBC category should have minimum 50% marks or equivalent grade in the relevant discipline.

पद कोड	रिक्तियों की संख्या															योग
	GEN						SC				ST		OBC			
	OP	WO	PH	EX	DFF	UKA*	OP	WO	EX	UKA*	OP	WO	OP	WO	UKA*	
01	15	09	01	02	01	05	04	02	01	01	01	01	02	01	01	47
02	01	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	01	-	-	04
03	01	01	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	03

OP-OPEN, WO-WOMEN, PH-PHYSICALLY HANDICAPPED, EX-EX-SERVICEMEN, DFF-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER, UKA-UTTARAKHAND ANDOLANKARI/DEPENDENT

पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के अधियाचन के अनुसार कारपोरशन की कार्यावश्यकता अनुसार पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।

टिप्पणी– उपरोक्त रिक्त पदों हेतु उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार क्षैतिज आरक्षण संगत विद्यमान अद्यतन शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा। ऊर्ध्वाधर (**Vertical**) एवं क्षैतिज (**Horizontal**) आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी

अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। उत्तराखण्ड राज्य से बाहर के अनु0जा0/अनु0ज0जा0/अ0पि0वर्ग एवं क्षैतिज आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी **GEN(OP)** में माना जायेगा।

3. आयुः आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2016 है। इस तिथि को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिये तथा अभ्यर्थी की आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 1974 से पूर्व एवं 1 जुलाई 1998 के बाद का नहीं होना चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी जैसा कि विहित किया जाए।

4. अधिकतम आयु सीमा में छूटः उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy) एवं स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रितों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की तथा शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी तथा भूतपूर्व सैनिकों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी जा अधिकतम 05 वर्ष की होगी। उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों/आश्रितों को उत्तराखण्ड राज्य के संगत विद्यमान अद्यतन शासनादेशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी।

5. राष्ट्रीयताः सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–

(क) भारत का नागरिक हो; (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो; या होना चाहिए या (ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास करने के लिए अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा और यूनाटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया होः

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया होः

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेः

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणीः– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

6. चरित्रः सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणीः– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

7. वैवाहिक प्रास्थितिः सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी होः

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

8. शारीरिक स्वस्थताः किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने के पूर्व अभ्यर्थी से वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–एक भाग–दो के अध्याय–तीन में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

9. आरक्षणः उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षणवार पदों की संख्या उपरोक्त तालिका में अंकित की गयी हैं।

(1) **ऊर्ध्व आरक्षणः–** उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा। (शा0सं0–1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 तथा शा0सं0–254/कार्मिक–2/2002, दि0 10 अक्टूबर, 2002)

(2) **क्षैतिज आरक्षणः–**

(क) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से **विकलांग**, उत्तराखण्ड के **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित** तथा उत्तराखण्ड के **पूर्व सैनिकों** को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (यथा संशोधित)–अधि0सं0:133/XXXVI(3)/2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च 2009 के प्राविधानों तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी अनुमन्य होगा जब सम्बन्धित पद शासन द्वारा विकलांगता की श्रेणियों में से किसी श्रेणी के लिए चिन्हित होगा। ''शारीरिक रूप से विकलांग'' अभ्यर्थियों हेतु शासनादेश सं0 196/XVII-2/2011-29 (स0क0)/2003 दिनांक 25/03/2011 के अनुसार क्षैतिज आरक्षण निम्नवत होगाः–

पदनाम–सहायक अभियन्ता (वि0एवंयां0) (प्रशिक्षु)–विकलांग जन श्रेणी– ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0

(i) ''पूर्व सैनिक'' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और जो– (एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयम् की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं–(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नोटः– पूर्व सैनिकों के आश्रितों को किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(iii) ''स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित'' से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

(ख) उत्तराखण्ड की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण शा0सं0–1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001 दि0 18 जुलाई 2001, शा0सं0–589/कार्मिक–2/2002 दि021 जुलाई 2002 तथा शा0सं0–1966/XXX(2)/2006 दि0 24 जुलाई 2006 एवं शा0सं0 686/XXX(2)/2011 दिनांक 29 अगस्त 2011 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।

***(ग)** *उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष **Writ Petition (PIL)** संख्या 67 of 2011 विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी श्रेणी के अन्तर्गत नियुक्ति न दिये जाने के अंतरिम आदेश दिनांक 26.08.2013 को दिए गये हैं किन्तु चयन प्रकिया में उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भाग लेने पर रोक नहीं लगाई गई है। अतः राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी के अभ्यर्थियों को चयन प्रकिया में भाग लेने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि उनकी नियुक्ति उक्त याचिका के निर्णय के प्रतिबन्धाधीन रहेगी तथा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 26–08–2013 के विद्यमान रहने की स्थिति में उपर्युक्त राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जायेगी। यदि निर्णय उनके पक्ष में नहीं होता है तो उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी के अभ्यर्थियों को राज्य आन्दोलनकारी का लाभ नहीं मिलेगा तथा इन पदों के सापेक्ष सम्बन्धित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों को नियमानुसार नियुक्तियाँ दी जायेगी।*

नोटः– यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(4) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों के क्रम में जारी निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। जहाँ शपथ–पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो तो वांछित शपथ–पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी के पुष्टि व अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कराकर ही प्रस्तुत किया जाय।

नोटः– जो अभ्यर्थी आयु में उक्त छूट का दावा करेंगे वे तत्संबंधी प्रमाण–पत्र भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे अन्यथा उच्चतम् आयु सीमा मे छूट अनुमन्य नहीं होगी। साथ ही उक्त अभ्यर्थी आवेदन–पत्र के सम्बन्धित कॉलम में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित करें अन्यथा आयु सीमा में छूट अनुमन्य नहीं होगी।

10. आवेदन–पत्र/परीक्षा शुल्क : आवेदन पत्र/परीक्षा शुल्क सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये **₹1500/–**, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये **₹750/–** एवं विकलांग अभ्यर्थी निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र/परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के रूप में ''**सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्**'' के पदनाम से देहरादून में देय होगा। , परम्परागत् आवेदन पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट–1** पर परिषद् की वेबसाइट से डाऊनलोड किया जा सकता है।

11. चयन परीक्षा तथा प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रमः

1) पदों हेतु चयन के लिए 176 अंकों की लिखित परीक्षा एवं 24 अंकों की साक्षात्कार के आधार पर बनायी गयी संयुक्त वरीयता सूची के अनुसार किया जायेगा। लिखित परीक्षा 3 घण्टे की अवधि की होगी। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा तथा प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। प्रश्न पत्र में कुल 176 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के चार विकल्प A,B,C तथा D दिये जाएंगे, जिनमें से केवल एक विकल्प ही सही/उत्तम (Correct/Best) उत्तर होगा।
2) प्रश्नपत्र दो खण्डों का होगा। खण्ड–1 में विश्लेषणात्मक एवं मात्रात्मक कौशल की क्षमता एवं सामान्य ज्ञान (Analytical Ability, Quantitative Aptitute and General Knowledge) से सम्बन्धित 50 प्रश्न होंगे तथा खण्ड–2 में BE/B.Tech परीक्षा स्तर के सम्बन्धित अभियांत्रिकी शाखा पर आधारित 126 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्नपत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 0.25 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।
3) परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट तथा उत्तर शीट की कार्बन प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी। लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तरमाला परिषद् की वेबसाइट www.ubter.in पर प्रदर्शित की जायेगी।
4) **कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1420/xxx(2)/2011 दिनांक 13 दिसम्बर 2011 के अनुपालन में लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रवीणता सूची में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किये अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित किया जायेगा।**
5) लिखित परीक्षा के उपरान्त लिखित परीक्षा की मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को श्रेणीवार 1:3 के अनुपात में साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र प्रेषित किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक हों तो अधिक आयु के अभ्यर्थी का नाम ऊपर रखा जायेगा।
6) साक्षात्कार की प्रक्रिया **पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड** (पिटकुल) द्वारा सम्पादित की जायेगी। साक्षात्कार के अंक परिषद् में प्राप्त होने के उपरान्त लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों के योग से ही अंतिम चयन सूची जारी की जायेगी। परिषद् द्वारा लिखित परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के प्राप्तांक अंतिम चयन परिणाम जारी होने के उपरान्त ही परिषद् की वेबसाईट www.ubter.in पर प्रकाशित किये जायेंगे।
7) चयनित अभ्यर्थी को सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण पर नियुक्त किया जाता है। प्रशिक्षण काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् ही उन्हें नियमानुसार कारपोरेशन में सहायक अभियन्ता कैडर में चयन किया जायेगा।

12. परीक्षा केन्द्रः– लिखित परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड में देहरादून एवं उधमसिंहनगर जनपदों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा केन्द्र का निर्धारण अभ्यर्थियों की संख्या एवं उनके द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर किया जायेगा। अतः अभ्यर्थियों की संख्या कम होने की दशा में परीक्षा का आयोजन केवल एक जनपद (देहरादून) में भी किया जा सकता है।

सभी अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश :–

1. अभ्यर्थी हिन्दी लिखने तथा बोलचाल में सक्षम होने चाहिए।
2. उत्तराखण्ड राज्य में मूल/स्थाई निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण के लाभ हेतु मूल/स्थाई निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. उत्तराखण्ड राज्य में मूल/स्थाई निवासी अभ्यर्थियों को किसी विशेष श्रेणी से सम्बन्धित होने का दावा प्रस्तुत किये जाने वाले अभ्यर्थियों को किसी सक्षम अधिकारी से निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि अनु0 जाति/अनु0 जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में केवल वही प्रमाण पत्र वैध माना जायेगा जो उत्तराखण्ड राज्य के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जिसकी स्व प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाये।
4. सभी शैक्षिक/तकनीकी योग्यताएं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से प्राप्त होनी चाहिये।
5. केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/प्रतिष्ठान में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र उचित माध्यम से भेजने होंगे, जिसमें यह उल्लेख हो कि अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक/विजिलेन्स मामला नहीं चल रहा है। केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/प्रतिष्ठान में कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/चयन प्रक्रिया के समय अपने सेवायोजक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे पात्रता सम्बन्धी सभी शर्तें पूरी करते हैं। **परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र से यह नहीं माना जायेगा कि अभ्यर्थी आवश्यक निर्धारित अर्हता प्राप्त करते हैं।** जो अभ्यर्थी स्नातक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हों अथवा जिनका परीक्षाफल विज्ञापन जारी होने की तिथि तक प्राप्त न हुआ हो, आवेदन न करें।
7. आवेदन पत्र अभ्यर्थियों द्वारा अपने हाथों से भरा जाना चाहिए। आवेदन पत्र भरने के लिए **केवल काले अथवा नीले रंग के बॉल प्वाइन्ट पेन** का प्रयोग करना चाहिए।
8. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो आवेदन–पत्र के सम्बन्धित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/श्रेणियों/उपश्रेणियों (एक या एक से अधिक जो भी हो) को अवश्य अंकित करें, अन्यथा वे अनारक्षित अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
9. आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त अर्हता, आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी व आयु आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
10. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी परिषद् की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
11. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए (जो लागू हों) तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
12. निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। समाचार पत्रों की कटिंग पर प्रस्तुत आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
13. आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में बाद में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन का अनुरोध किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा।
14. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा परिषद् के साथ समस्त पत्र व्यवहार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो परिषद् उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
15. एक लिफाफे में एक से अधिक पद के लिए आवेदन पत्र पाये जाने पर सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा उसका अभ्यर्थन भी रद्द कर दिया जायेगा।
16. अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं, समयान्तर्गत प्राप्त होने के बावजूद, सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए परिषद् जिम्मेदार नहीं होगा।
17. पदों के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र' में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
18. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा।
19. वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परिषद् की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्रश्न व सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर परिषद् द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।
20. परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर्स अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर परिषद् द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर कैलकुलेटर/मोबाइल फोन/पेजर्स सहित किसी भी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें; क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
21. परीक्षा के दौरान कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करवायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
22. परीक्षा के दौरान कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा के संचालन हेतु तैनात स्टॉफ को परेशान न करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

23. अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति को किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करे तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

24. एक अभ्यर्थी जो निम्नलिखित कारणों से परिषद् द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :–
(i) यदि वह किसी भी प्रकार से अपने अभ्यर्थन के लिए समर्थन प्राप्त करता है, अथवा (ii) नाम बदलकर परीक्षा देता है, अथवा उत्तर पत्रक OMR Sheet/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरता है अथवा (iii) किसी अन्य व्यक्ति से छल रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा (iv) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करता हो जिनमें फेरबदल किया गया हो, अथवा (v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हों या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई गई हो, अथवा (vi) अपने चयन के लिए अभ्यर्थन हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो, अथवा (vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा (viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हो, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो, अथवा (ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार दुर्व्यहार किया हो, (जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, उत्तर पुस्तिका लेकर कक्ष से भाग जाना ,परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है), अथवा (x) परीक्षा संचालन के लिए परिषद् द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो, या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, अथवा (xi) परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में कैलकुलेटर/मोबाइल फोन/संचार यन्त्र का प्रयोग करते हुए या उसके पास पाया जाता है, अथवा (xii) पूर्वोक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो,
जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और इसके साथ ही उसे –
(क) परिषद् उस चयन से, जिसका वह अभ्यर्थी है, अयोग्य ठहरा सकता है, और/अथवा
(ख) उसे स्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए प्रतिवारित किया जा सकता है–
(1) परिषद् द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से, (2) राज्य सरकार के अधीन किसी भी नौकरी से।
(ग) यदि वह सरकार/सरकारी प्रतिष्ठान के अन्तर्गत पहले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

25. परिषद् से किए जाने सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा का नाम, आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
26. यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से परिषद् को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।
27. निम्नलिखित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा–
(क) शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित अंकतालिका, प्रमाण–पत्रों एवं आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्ड्री/हाईस्कूल/अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र, मूल निवास/स्थायी निवास की स्वप्रमाणित छायाप्रति, केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग/प्रतिष्ठान में कार्यरत अभ्यर्थियों के उचित माध्यम से आवेदन अथवा आवेदित पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित समस्त अभिलेख (ख) अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ स्वप्रमाणित, आवेदन पत्र के निर्धारित फार्मेट पर चिपका हो तथा फोटो के नीचे अभ्यर्थी द्वारा पठनीय हस्ताक्षर भी किए जायें। (ग) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी नवीनतम शासनादेशों के क्रम में निर्धारित प्रारूप सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण–पत्र एवं अन्य आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आरक्षण प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 01 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये। (शासनादेश सं0 590/XVII/-3/12-05(O.B.C.)/2010 समाज कल्याण अनुभाग–03 दिनांक 30 मई 2012 के अनुसार।)

28. परिषद् द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकृति की लिखित परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) पद्धति अपनायी जाएगी। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या उम्मीदवार द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंकों का एक चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जाएगा और परिषद् का निर्णय अंतिम होगा। लिखित परिक्षा के लिए प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रजी भाषा में (द्विभाषीय) उपलब्ध होंगे। किसी भी विरोधाभाष में अंग्रेजी माध्यम मान्य होगा।
29. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।
30. परीक्षा की तिथि, कार्यक्रम, समय तथा केन्द्रों के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश–पत्रों के माध्यम से भी सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र आवंटन के उपरान्त केन्द्र परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
31. **जो अभ्यर्थी कालान्तर में भी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और लिखित परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन के सम्बन्ध में परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा। निरस्त किये गये आवेदन पत्रों का शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।**
32. **उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किये जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी परिषद् द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है। उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के बाद परिषद् द्वारा अन्तिम चयन के उपरान्त भी यदि अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर अथवा अपात्र पाया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।**
33. आवेदन पत्र का अग्रसारण :–अभ्यर्थी 9” x 12” साईज के लिफाफे में आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित रखकर **सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ अपर आमवाला देहरादून**” के पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व प्रेषित करें। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि

दिनांक 16 जनवरी 2017 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को कालबाधित (Time Barred) अंकित कर वापस कर दिया जायेगा।

लिफाफे का प्रारूप

विज्ञापन संख्या 11406/उप्राशिप/पिटकुल/स0अभि0/ दिनांकः 14/12/2016 स्पीड पोस्ट/पंजीकृत

आवेदित पद का कोडः [ ]

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण
अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला
तपोवन, नालापानी, देहरादून (उत्तराखण्ड)
पिन–248001

प्रेषकः

....
....
पिनः ....

34. परिषद् द्वारा संपादित की जा रही परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी का चयन नितान्त औपबन्धिक होगा तथा चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप से संबंधित विभाग द्वारा सम्पन्न किया जायेगा एवं प्रत्येक दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही नियुक्ति प्रदान की जायेगी।
35. अभ्यर्थी भरे हुए आवेदन पत्र (समस्त संलग्नकों सहित), बैंक ड्राफ्ट एवं स्पीड पोस्ट की रसीद की छायाप्रति अपने पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखें। प्रवेश पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में परिषद् कार्यालय में उक्त अभिलेखों के प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही प्रवेश पत्र जारी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

सचिव